

76/03/2018-प्रशा-।

भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

श्रम ब्यूरो

एस.सी.ओ. 28-31, सैक्टर 17-ए

चण्डीगढ़ 160 017,

दिनांक ११ .7.2019


कार्यालय आदेश सं० 22/ अवकाश संबंधी 2018

निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दर्शाया गया अवकाश प्रदान किया जाता है -

क्रम सं०	नाम व पदनाम सर्व श्री/श्रीमती	अवकाश का प्रकार	कुल दिन	से	तक	शेष अर्जित अवकाश	शेष अर्ध वेतन अवकाश
1	2	3	4	5	6	7	8
1	सुनील चौधरी, उप महानिदेशक	अ.अ. प.अ.	19 42	06.05.2019 25.05.2019	24.05.2019 05.07.2019	300+11	514

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त संबंधित अधिकारी ;कर्मचारी यदि उपरोक्त अवकाश पर न गये होते तो वह अपने पद पर स्थानापन्न रहे होते । यह भी प्रमाणित किया जाता है कि यदि अवकाश की अवधि असाधारण नहीं है तो वेतन वृद्धि में गिनी जाएगी ।

चूंकि अधिकारी जून के पूरे महीना के लिए छुट्टी पर था, इसलिए परिवहन भत्ता में कटौती की जा सकती है।



(राकेश कुमार)

अनुभाग अधिकारी

वितरण -

- 1 कार्यालयाध्यक्ष/रोकड़ अनुभाग
- 2 व्यक्तिगत मिसिल/कार्यालय आदेश पुस्तिका
- 3 एमटीयू

